

वाणिज्यिक रेलवे
2014-15

11

अध्याय



परिवहन अवसंरचना का संरक्षण और विकास

परिवहन अवसंरचना का संरक्षण और विकास

कोयला संरक्षण

कोयला का संरक्षण एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। खासकर तब जब कि हमारे कोयला भण्डार सीमित हैं। कोयला के संरक्षण के पहलू पर आयोजन की अवस्था से ही ध्यान दिया जाता है तथा कार्यान्वयन के चरण में अधिकतम प्राप्ति सुनिश्चित की जाती है। खानों का अभिकल्पन खुली खान से अथवा भूमिगत विधियों के जरिए कोयला संस्तर तक पहुंचने के लिए किया जाता है तथा तकनीकी व्यवहार्यता तथा वित्तीय सक्षमता को ध्यान में रखकर किया जाता है।

वर्तमान में कम गहराई में मोटे संस्तर के निष्कर्षन के लिए विवृत खनन आम तौर पर अनुकूलित प्रौद्योगिकी है। यह संरक्षण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस प्रौद्योगिकी में प्रतिशत प्राप्ति करीब 80 प्रतिशत से 90 प्रतिशत है। वर्तमान में देश में कोयला उत्पादन में इसका लगभग 90% योगदान है। साथ ही, जब व्यवहार्य हो, भूमिगत खानों के विकसित स्तंभों का निष्कर्षण ओपन कास्ट परिचालन से किया जा रहा है।

भूमिगत खनन को ध्यान में रखते हुए दीर्घ भित्ति लघु भित्ति विधि विस्फोटन गैलरी प्रौद्योगिकी हाई वाल माइनिंग तथा सतत खनन प्रौद्योगिकी के परिणामस्वरूप निष्कर्षण के प्रतिशत में सुधार हुआ है।

रेजिन कैप्सूल से मशीनीकृत बोल्टिंग से रूप स्पोर्ट प्रौद्योगिकी में सुधार से व्यापक गैलरी सुधार बनाए रखना और रूफ की खराब परिस्थितियों के अंतर्गत अधिक कारगर ढंग से संस्तरों का निष्कर्षण संभव हो सका है जिसके परिणामस्वरूप कोयला संरक्षण में सुधार हुआ है।

कोयला नियंत्रक संगठन के माध्यम से कोयला मंत्रालय कोयला संरक्षण तथा खान क्षेत्रों के विकास के लिए (खान संरक्षण एवं विकास अधिनियम 1974 को अभिशासित करता है कोयला कंपनियों को प्रति टन 10/- की दर से कोयला उत्पादन/प्रेषण के लिए रेत उत्पाद शुल्क लगाया जाता है और कोल कंपनियों को संरक्षण उपायों के लिए सहायता दी जाती है।

रेत भराई

भूमिगत खानों में रेत भराई अभी भी कोयला संरक्षण का एक कारगर साधन है और भूमिगत कोयला संस्तर से कोयला स्तंभों के निष्कर्षण हेतु इसका व्यापक प्रयोग किया जाता है निर्मित क्षेत्रों जैसे कि भू-तल पर महत्वपूर्ण संरचना, रेलवे लाइन, नाला आदि के नीचे पड़े भूमिगत कोयला संस्तरों के निष्कर्षण के लिए इस विधि का उपयोग किया जा सकता है जो अन्यथा कोयला पिलरों में पड़े होते हैं। रेत भराई से मोटे संस्तरों के निर्माण में सहायता मिलती है जिससे निष्कर्षण का प्रतिशत बढ़ता है। रेत की कमी के कारण फ्लाई ऐश, ब्यालर ऐश, पीसी हुई अधिभार सामग्री आदि का उपयोग रेत के एवज में भूमिगत खानों में किया जाता है। वर्तमान में पीसी हुई अधिभार सामग्री का उपयोग भूमिगत खानों में रेत भराई के लिए वाणिज्यिक स्तर पर किया जा रहा है। यह उन स्थानों पर किया जाता है जहां आस-पास रेत उपलब्ध न हो और सुदूर नदी छोतों से रेत का परिवहन महंगा हो।

सी सी डी ए के अंतर्गत कोयला खानों में संरक्षण तथा सुरक्षा और परिवहन अवसंरचना का विकास।

कोयला खान (संरक्षण एवं विकास) अधिनियम 1974 के सांविधिक प्रावधानों के अनुसार इन योजनाओं के अंतर्गत कोयला कंपनियों के द्वारा किए गए व्यय की आंशिक प्रतिपूर्ति की जाती है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य कोयला पर उत्पादन शुल्क लेना है ताकि संरक्षण तथा विकास कार्यों के साथ-साथ अवसंरचना विकास हेतु इसे वितरित किया जा सके।

कोयला खान (संरक्षण एवं विकास) नियम, 1975 के प्रावधानों के अनुसार प्रतिपूर्ति की जांच तथा समीक्षा विधिवत गठित कोयला संरक्षण एवं विकास सलाहकार समिति (सी सी डी ए समिति) द्वारा की जाती है। सरकार बजट प्रावधानों के जरिए कोयला कंपनियों को देय लागत की प्रतिपूर्ति करती है और इस क्रम में पूर्व वित्तीय वर्ष की मौजूदा प्रतिबद्धताओं/देनदारियों को ध्यान में रखती है। वित्तीय वर्ष 2012–13, 2013–14 तथा 2014–15 (दिसंबर 2014 तक) दोनों योजनाओं के अंतर्गत उपलब्धियों का विवरण निम्नवत है।

	2012-13	2013-14	2014-15 दिसंबर 2014 तक वास्तविक
रेत भराई तथा संरक्षात्मक कार्य हेतु संवितरित राशि	119.00 करोड़ रुपए	184.96 करोड़ रुपए	185.00 करोड़ रुपए
रेत भरित खानों की संख्या	96	90	78
भरित रेत	61.22 लाख घन मी.	61.80 लाख घन मी	66.55 लाख घन मी
शुरू किए गए संरक्षात्मक कार्य	32	17	19
परिवहन अवसंरचना विकास के लिए संवितरित राशि	40.00 करोड़ रुपए	76.02 करोड़ रुपए	75.00 करोड़ रुपए
अंशतः वित्तपोषित सड़क परियोजनाएं	24	13	16
अंशतः वित्तपोषित रेल परियोजनाएं	5	2	3

रेल अवसंरचना परियोजनाएँ

भविष्य में उत्पादन तथा निष्काशन की योजनाबद्ध वृद्धि को प्राप्त करने के लिए सी आई एल ने भारतीय रेल प्राधिकरण द्वारा निष्पादित की जाने वाली प्रमुख रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को प्रारंभ किया है:

- सेंट्रल कोल फील्ड्स लि. रांची, झारखण्ड के लिए टोरी-शिवपुर-खतोतिया न्यू बी जी लाइन जिसकी लंबाई करीब 93.45 कि.मी है। पूर्व मध्य रेलवे, पटना द्वारा कार्य का निष्पादन किया जा रहा है।
- महानदी कोलफील्ड्स लि., संबलपुर, ओडीसा के लिए 52.4

कि.मी लंबी झारसुगुड़ा- बारपल्ली रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्टर प्रोजेक्ट। इस कार्य का निष्पादन दक्षिण पूर्व रेलवे, कोलकाता द्वारा किया जा रहा है।

- एस ई सी एल के मण्ड-रायगढ़ तथा कोरबा-गेबरा कोल्फील्ड्स से कोयला ले जाने के लिए निम्नलिखित दो रेल कारीडोर का निर्माण कार्य निर्धारित किया गया है:
 - लगभग 180 मी. लंबा पूर्व कारीडोर (भूपदेबपुर-घरगोदा-धर्मजाइगढ़ से कोरबा तक और घरगोदा से डोंगा महुआ लाइन ताकि गारे-पेलमा ब्लाक की खानों को जोड़ा जा सके)
 - करीब 122 कि.मी. लंबा पूर्व-पश्चिम कारीडोर (गेवरारोड, दीपका, काठघोड़ा, सिन्दुरगढ़, पासन होते हुए)